भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1265

03 दिसंबर 2024 को उत्तरार्थ

विषयः कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

1265. श्री माथेश्वरन बी.एस.:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपास की कीमतों में हाल ही में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु राज्य में कपास किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे का समाधान करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कपास की कीमतों में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि तमिलनाडु में कपास किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात्, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर सम्पूर्ण देश के लिए कपास सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ (कपास सहित), रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ एमएसपी में वृद्धि की है।

(ख): कपास के एक औद्योगिक कच्ची सामग्री होने के कारण इसका मूल्य मुखतः घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करता है।

(ग): जब कपास की कीमतें भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से कम हो जाती है तब एमएसपी योजना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने का आश्वासन देते हुए एक सुरक्षित व्यवस्था प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने तमिलनाडु के कपास किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु कोयंबटूर में अपने शाखा कार्यालयों के तहत 13 जिलों में पर्याप्त विपणन अवसंरचना अर्थात् 21 खरीद केंद्रों की स्थापना की है।

******